



कार्यालय Office of the
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager,
बिलासपुर - (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)

दर परिपत्र स.04(मालभाड़ा)/2017

Rates Circular No.04(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/W.B/Policy /Pt.I/ 84

दिनांक / Date: 05/01/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, /Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर/ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी /FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए) द पू.म. रे. बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक,/CFTM मुख्य यंत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे बिलासपुर।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, /Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50 जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.

महाप्रबंधक कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली, ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.

कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय / Sub:- Exemption from mandatory (100%) weighment for the commodities loaded in standard bags of uniform size.

संदर्भ / Ref:- (i) Railway Board's Rates Master Circular/ Weighment/2014/0.

(ii) Railway Board's letter No. TC-I/2011/109/11 dt. 18.09.2015.

(iii) This office Rates Circular No. 120(G)/14 & 167(G)/15.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TC-I/2011/109/11 दिनांक 04/01/2017 (Rates Circular No.1 of 2017) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Contd..2..


Please refer to Para 3.1 of Rates Master Circular under reference (i) regarding exemption from mandatory (100%) weighment for the commodities loaded in standard bags of uniform size.

Further, as per Board's letter under reference (ii), the term 'Standard bags of uniform size' denotes all bags of standard size bags having pre-stenciled/pre-printed weight mentioned on them and which are filled uniformly through automated system having pre-weighing mechanism that ensure the weight of the commodity being filled in each bag is as per the pre-stenciled/pre-printed weight and that such system has been duly certified by the Weights and Measures department.

The matter has been reviewed and it has been decided that the term 'standard bags of uniform size' denotes all bags of standard size bags which are filled uniformly. While booking such consignment, the customer will give a written undertaking in the forwarding note stating that the bags are standard bags of uniform size filled with uniform weight of commodity.

The issues in consultation with Traffic Transportation Dte. and with the concurrence of Finance Dte. of the Ministry of Railways.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।



(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक / पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक